राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3975/2025

यशोदा कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति विराटनगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नयी आबादी, जलेबी चौक, जयपुरसिंहपुरा, विराट नगर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.11.2017 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–2 के पद पर नियुक्त किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उच्च अंक प्राप्त करने के उपरान्त भी ब्लॉक विराट नगर आवंटित किया गया। अपीलार्थी को कांउसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, न ही उसे लिखित या मौखिक रूप से इसकी सूचना दी गई। काउंसलिंग के संबंध में कोई सूचना या सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई या आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। इस चूक के कारण अपीलार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सका। जिन उम्मीदवारों ने आवेदक प्रस्तुत किये थे, उन्होंने अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त कर रखे थे, उन्हें सांगानेर, चाकसू और बस्सी जैसे बेहतर ब्लॉकों में पोस्टिंग आवंटित की गई। इसके विपरीत अपीलार्थी को आवेदकों के समान अवसर नहीं दिया गया और उसे वैकल्पिक स्थान पर शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.11.2017 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी ने दिनांक 23.11.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 21902/2017 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 11.07.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उनका कथन है कि विराट नगर ब्लॉक अब कोटपूतली–बहरोड़ जिले का हिस्सा। अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पहले से ही निकटवर्ती जयपुर शहर में पदस्थापित किया गया। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी को भारी नुकसान हुआ है। अब 09 वर्ष की अवधि के बाद जब पदोन्नति की जाएगी तो अपीलार्थी जिला जयपुर की नहीं बल्कि जिला कोटपूलती–बहरोड़ का हिस्सा होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की योग्यता और अन्य परिस्थितियों के अनुसार जिला जयपुर में पदस्थापन के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जावे। तथा वैकल्पिक रूप से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर न्याय के हित में 02 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य